13 जुलाई 2007

22 आषाढ़ 1929 (शक)

बैंपविवि. डीआइआर.(ईएक्सपी). बीसी. 21/04.02.01/2007-08

रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है, भारतीय रिज़र्व बैंक 17 अप्रैल 2007 के अपने निदेश बैंपविवि. डीआइआर. (ईएक्सपी) बीसी. सं. 79/04.02.01/2006-07 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्द्वारा निदेश देता है कि 01 अप्रैल 2007 से 31 दिसंबर 2007 तक रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दरें निम्नानुसार रहेंगी ।

विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक 180 दिनों तक के पोतलदानपूर्व ऋण और 90 दिनों तक पोतलदानोत्तर ऋण पर बीपीएलआर से 2.5 प्रतिशत कम तक ब्याज दरें लगाते हैं । बैंक अब नीचे दर्शाये गये क्षेत्रों में निर्यातकों को 1 अप्रैल 2007 से 31 दिसंबर 2007 की अवधि में 180 दिनों तक के पोतलदानपूर्व ऋण तथा 90 दिनों तक के पोतलदानोत्तर ऋण की बकाया राशि पर बीपीएलआर से 4.5 प्रतिशत कम तक ब्याज दर लगाएंगे ।

I. विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्यातक

- (i) वस्त्रोद्योग (हथकरघा सहित)
- (ii) रेडीमेड पोशाक
- (iii) चमड़ा उत्पाद
- (iv) हस्तशिल्प
- (v) इंजीनियरी उत्पाद
- (vi) प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद
- (vii) सामुद्रिक उत्पाद
- (viii) खेल-कूद सामग्री
- (ix) खिलौने

II. अनुबंध में यथापरिभाषित छोटे और मझोले उद्यम क्षेत्र के सभी निर्यातक ।

अन्य श्रेणियों के निर्यातकों के संबंध में, 17 अप्रैल 2007 के परिपत्र के प्रावधान पहले की तरह लागू होंगे ।

भवदीय

(आनंद सिन्हा)

कार्यपालक निदेशक

1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2007 की अवधि के लिए रुपया निर्यात ऋण
जून /सितंबर/दिसंबर 2007 को समाप्त तिमाही के लिए विवरण

(राशि लाख रुपये में)

निर्यातकों की श्रेणियां	**उद्योग कूट**	**बीपीएलआर से 4.5 प्रतिशत कम पर दिया गया कुल रुपया निर्यात ऋण**		**दावा की गई अनुदान राशि**
		खातों की संख्या	**राशि**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
I. विनिर्दिष्ट क्षेत्र				
i) वस्त्रोद्योग (हथकरघा सहित)				
ii) रेडीमेड पोशाक				
iii) चमड़ा उत्पाद				
iv) हस्तशिल्प				
v) इंजीनियरी उत्पाद				
vi) प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद				
vii) सामुद्रिक उत्पाद				
viii) खेल कूद सामग्री				
ix) खिलौने				
II. छोटे और मझोले क्षेत्र के सभी निर्यातक				
कुल				

हम प्रमाणित करते हैं कि हमने . . . . . को समाप्त तिमाही के दौरान रिज़र्व बैंक के 13 जुलाई 2007 के परिपत्र सं. बैंपविवि. डीआईआर (इएक्सपी) बीसी. सं. 22/04.02.01/2007-08 में दर्शाए अनुसार पात्र निर्यातकों को रुपया निर्यात ऋण के रूप में बीपीएलआर से 4.5 प्रतिशत कम वार्षिक की दर से उपर्युक्त ऋण संवितरित किया है।

दिनांक . . . . . प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अनुबंध

छोटे और मझोले उद्यम (एसएमई) की परिभाषा

नीचे विनिर्दिष्ट मालों के उत्पादन या निर्माण, प्रसंस्करण या संरक्षण में संलग्न उद्यम

i) **माइक्रो उद्यम** वह उद्यम है जिसका प्लांट और मशीनरी (मूल लागत में से भूमि और भवन तथा लघु उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. एसओ 1722 (ई) दिनांक 5 अक्तूबर 2006 द्वारा विनिर्दिष्ट मदों को छोड़कर) में **निवेश 25 लाख रुपये से अधिक नहीं** है।

ii) **छोटा उद्यम** वह उद्यम है जिसका प्लांट और मशीनरी (मूल लागत में से भूमि और भवन तथा लघु उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. एसओ 1722 (ई) दिनांक 5 अक्तूबर 2006 द्वारा विनिर्दिष्ट मदों को छोड़कर) में निवेश **25 लाख रुपये से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है**; तथा

iii) **मझोला उद्यम** वह उद्यम है जिसका प्लांट और मशीनरी (मूल लागत में से भूमि और भवन तथा लघु उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. एसओ 1722 (ई) दिनांक 5 अक्तूबर 2006 द्वारा विनिर्दिष्ट मदों को छोड़कर) में निवेश **5 करोड़ से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।**